



१८

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक

१३ निगरानी - R-1649-JT/13

१- राव यादवेन्द्र सिंह नावालिंग पुत्र न संदाता

रावचन्दन सिंह, पुत्र राव बुध्वर सिंह,
निवासी ग्राम मोबाई बुजुर्ग तेहसील खेड़ा
जिला दतिया-मध्यप्रदेश।

२०५

२- गनुज प्रताप सिंह नावालिंग पुत्र राज मुलायम
सिंह व सरपरस्त मां श्रीमती होली सिंह

परिहार निवासी ग्राममोबाई बुजुर्ग तेहसील
खेड़ा जिला दतिया मध्यप्रदेश।

२०६

----- प्राथीणा

बिरुद्ध

राव कोक सिंह तनय राव बुध्वर सिंह,
निवासी ग्राम मोबाई बुजुर्ग तेहसील खेड़ा
जिला दतिया-मध्यप्रदेश।

२०७

----- प्रतिप्राप्ति

२०८

निगरानी का बिरुद्ध बादेश एस०टी० बौ०० महोदय खेड़ा जिला दतिया
दिनांकी ४।४।१३ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मूराजस्व र्हिता, प्र०३०
१५।१२-१३ अप्र०।

२०९

श्री मान् जी,

निगरानी का प्राथीणा पत्र निर्मानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०टी० बौ०० महोदय की खाजा कानून सही नहीं है।

२- यह कि, एस०टी० बौ०० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी मिशन
को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, एस०टी० बौ०० महोदय का बादेश, बादेश की परिमाणा भी
नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ बादेश नहीं है।

४- यह कि, एस०टी० बौ०० महोदय के नमदा प्रस्तुत अपील सरायर अन्ति-

क्रम शं. ---२


(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक—निगरानी—1649—दो / 2013

जिला—दतिया

राव यादवेन्द्र आदि विरुद्ध राव कोक सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमानकों हस्ताक्षर
31—05—2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार भाण्डेर, जिला—दतिया के प्रकरण क्रमांक 15/2012—13/अपील में पारित आदेश दिनांक 04—04—2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला—दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22—07—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>  <div style="text-align: right; margin-top: -10px;">  (आर0क0 ब्रैन) सदस्य ३१/५/१९ </div>	